NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-09-2026

विषय सूची

भारत-नेपाल द्वारा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात: सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख स्तंभ

रचनात्मक अर्थव्यवस्था भारत के आगामी विकास क्षेत्र के रूप में उभर रही है

FCRA विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की प्रथम बैठक

संक्षिप्त समाचार

ई.वी. रामासामी

इंडिया डीप टेक एलायंस

भारत द्वारा पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग खारिज

हिमालयी मोनाल

भारत-नेपाल द्वारा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

संदर्भ

- नेपाल के वित्त मंत्री ने भारत का दौरा किया तथा भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक की।

परिचय

- **व्यापार, पारगमन एवं अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण हेतु सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी उपसमिति** की बैठक संपन्न हुई।
  - इस बैठक में बाजार तक पहुँच, सीमा शुल्क एवं व्यापार सुविधा, मानक, खाद्य सुरक्षा, सीमा अवसंरचना, रेल एवं सड़क संपर्क तथा व्यापार से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
- विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता के प्रमुख विषयों में नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण की योजनाएँ तथा नवनिर्वाचित सरकार के साथ भारत-नेपाल संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाना शामिल था।

भारत-नेपाल संबंधों का अवलोकन

- **साझा सीमा:** नेपाल की सीमा भारत के पाँच राज्यों— **सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड** से लगती है।
  - स्थलरुद्ध देश होने के कारण नेपाल वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर अत्यंत सीमा तक निर्भर है। समुद्र तक उसकी पहुँच भी भारत के माध्यम से होती है।
- **भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि: भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि** पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि दोनों देशों के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है।
  - संधि के प्रावधानों के अनुसार, नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएँ एवं अवसर प्राप्त होते हैं।
- **रक्षा सहयोग:** भारत उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण प्रदान करके **नेपाली सेना** के आधुनिकीकरण में सहायता करता रहा है।
  - दोनों देश बारी-बारी से भारत और नेपाल में **संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण'** आयोजित करते हैं।
  - वर्ष 1950 से दोनों देश एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद **जनरल** की उपाधि प्रदान करते आ रहे हैं।
  - भारतीय सेना की **गोरखा रेजिमेंटों** में आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती किए गए सैनिक शामिल होते हैं।
- **व्यापार एवं आर्थिक संबंध:** वित्तीय वर्ष **2025-26** में भारत-नेपाल वस्तु व्यापार लगभग **9.38 अरब अमेरिकी डॉलर** का रहा। यह नेपाल के कुल बाह्य वस्तु व्यापार का **60 प्रतिशत से अधिक** है।
  - भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नेपाल के वस्तु निर्यात का **80 प्रतिशत से अधिक** भारत को प्राप्त हुआ।
  - भारत नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है तथा नेपाल को प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की हिस्सेदारी लगभग **एक-तिहाई** है।
- **संपर्क एवं विकास साझेदारी:** भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और संपर्क जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नेपाल का सबसे बड़ा विकास सहयोगी है।
  - प्रमुख परियोजनाओं में **गौचर हवाई अड्डा, जिसे वर्तमान में त्रिभुवन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है; पूर्व-पश्चिम राजमार्ग; सीमा-पार रेल संपर्क का विकास तथा एकीकृत जाँच चौकियों की स्थापना** शामिल हैं।
  - वर्ष 2006 से भारत ने नेपाल को लगभग **750 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की ऋण सहायता प्रदान की है।
- **ऊर्जा सहयोग:** भारत और नेपाल के बीच सीमा क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **वर्ष 1971 से विद्युत विनिमय समझौता** है।
  - **विद्युत क्षेत्र में सहयोग संबंधी संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य, 2022** में नेपाल में संयुक्त रूप से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विकास, सीमा-पार विद्युत पारेषण अवसंरचना का विकास तथा दोनों देशों के विद्युत ग्रिडों का समन्वित संचालन शामिल है।
- **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत:** वर्ष **2015 में नेपाल में आए भूकंप** के बाद भारत ने सबसे पहले सहायता पहुँचाई और विदेशों में अपने सबसे बड़े आपदा राहत अभियानों में से एक **'ऑपरेशन मैत्री'** चलाया।
  - **अगस्त 2026 में नेपाल में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़** के बाद भारत ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान शुरू किया।
  - यह पड़ोसी देशों में **प्रथम प्रत्युत्तरदाता** के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है तथा नेपाल के साथ मानवीय एवं जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करता है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** दोनों देशों के नेताओं ने प्रायः सदियों पुराने **'रोटी-बेटी' संबंध** का उल्लेख किया है। यह दोनों देशों के लोगों के बीच होने वाले सीमा-पार वैवाहिक संबंधों को संदर्भित करता है।

NEXT IAS हिन्दी

भारत एवं नेपाल के बीच चिंता के क्षेत्र

- **1950 की शांति एवं मैत्री संधि:** 1950 की संधि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ एवं विकसित करने तथा आपसी शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
    - समय के साथ नेपाल में यह धारणा बनी कि यह संधि **असममित** है और नेपाल के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है।
    - भारत ने निरंतर कहा है कि वह संधि की **"रचनात्मक एवं दूरदर्शी तरीके से"** समीक्षा के लिए तैयार है।
- **कालापानी विवाद:** कालापानी क्षेत्र वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है, जबकि नेपाल ऐतिहासिक आधारों पर इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है।
    - यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच प्रमुख क्षेत्रीय विवाद का विषय है।
- **दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी:** काठमांडू में यह धारणा देखने को मिलती है कि भारत नेपाल की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है।
    - दूसरी ओर, भारत नेपाल के बुनियादी ढाँचे, व्यापार और राजनीतिक निर्णयों में **चीन के बढ़ते प्रभाव** को लेकर चिंतित है।
    - नेपाल में समय-समय पर ऐसे राजनीतिक आख्यान भी सामने आते रहे हैं, जिनमें भारत को **प्रभुत्ववादी** शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भारत और नेपाल के बीच साझा सुरक्षा चिंताएँ हैं, जिनमें **सीमा-पार आतंकवाद, मानव तस्करी, अन्य प्रकार की तस्करी तथा सीमा सुरक्षा** से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- **असमान संबंध की धारणा:** नेपाल के समाज के कुछ वर्गों ने भारत के साथ संबंधों को असमान मानते हुए चिंता व्यक्त की है।
    - इन चिंताओं में **आर्थिक निर्भरता तथा द्विपक्षीय संबंधों में पारस्परिकता की कमी** से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

आगे की राह

- इन चुनौतियों और विवादों के बावजूद भारत एवं नेपाल ने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं तथा द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हैं।
- दोनों देश अपने संबंधों के महत्व को स्वीकार करते हैं और मतभेदों के **पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान** खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग एवं मैत्री को बढ़ावा देना इस संबंध का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

स्रोत: AIR

भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात: सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख स्तंभ

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष **2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 221.4 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया।

भारत में सेवा क्षेत्र

- भारत के सेवा क्षेत्र में **व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ, व्यावसायिक सेवाएँ, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** शामिल हैं।
- यह क्षेत्र भारत की **आर्थिक वृद्धि, रोजगार, विदेशी मुद्रा आय तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता** में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्यस्रोतीकरण तथा डिजिटल सेवाओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है।

वर्तमान स्थिति

- **सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात:**
    - भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष **2025-26 में 8.2 प्रतिशत बढ़कर 221.4 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया।
    - विदेशों में स्थापित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल करने पर निर्यात **9.5 प्रतिशत बढ़कर 239.3 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया।
    - सॉफ्टवेयर सेवाओं का भारत के कुल सेवा निर्यात में **53 प्रतिशत** योगदान रहा। भारत का कुल सेवा निर्यात **421.29 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा।
    - इसके प्रमुख घटकों में **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ (147 अरब डॉलर), व्यवसाय प्रक्रिया बाह्यस्रोतीकरण सेवाएँ (56 अरब डॉलर) तथा सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास (6.4 अरब डॉलर)** शामिल रहे।
    - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात में **व्यवसाय प्रक्रिया बाह्यस्रोतीकरण** प्रमुख घटक बना रहा।
- **निर्यात के प्रमुख गंतव्य:**
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** भारत का सबसे बड़ा बाजार बना रहा। कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में उसकी हिस्सेदारी **54.1**

NEXT IAS हिन्दी

प्रतिशत (119.7 अरब अमेरिकी डॉलर) रही, जो वर्ष 2024-25 के 52.9 प्रतिशत से अधिक है।

- **यूरोप** की हिस्सेदारी 31.8 प्रतिशत रही, जबकि **यूनाइटेड किंगडम** की हिस्सेदारी 15.4 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के 15.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली कमी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार युद्ध एवं शुल्कों के बावजूद, वहाँ भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात **11 प्रतिशत बढ़ा।**

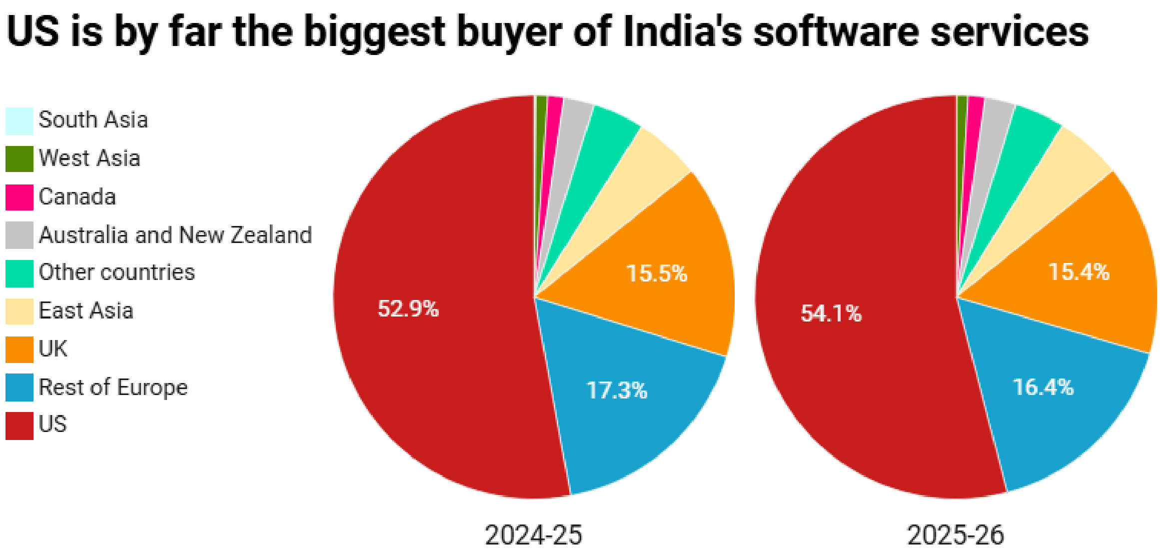

- **सेवा प्रदान करने का माध्यम:**
  - भारत की **91.7 प्रतिशत सॉफ्टवेयर सेवाएँ देश से बाहर बैठे ग्राहकों को दूरस्थ रूप से प्रदान की गईं**, जो दूरस्थ सेवा प्रदान करने के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
  - देश के बाहर जाकर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का निर्यात **19 अरब डॉलर से घटकर 18.4 अरब डॉलर** रह गया। यह वीजा नियमों के सख्त होने के प्रभाव को दर्शाता है।
  - भारतीय कंपनियों से संबद्ध विदेशी कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कारोबार **13.9 अरब डॉलर से बढ़कर 17.9 अरब डॉलर** हो गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं।

भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख कारक

- **डिजिटल क्षमता:** भारत में कुशल सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा विकसित डिजिटल अवसंरचना वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय प्रक्रिया सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करती है।
- **वैश्विक मांग:** संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से सुदृढ़ मांग भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को निरंतर समर्थन प्रदान कर रही है।
- **दूरस्थ सेवा प्रदान करना:** दूरस्थ सेवा प्रदान करने की प्रमुखता से कर्मचारियों की भौतिक आवाजाही पर निर्भरता कम होती है और भारतीय कंपनियाँ दूर बैठे वैश्विक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर पाती हैं।
- **विदेशों में उपस्थिति:** विदेशी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से विस्तार से भारतीय कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति तथा स्थानीय स्तर पर होने वाली आय में वृद्धि हो रही है।

मुद्दे एवं चिंताएँ

- **बाजार का संकेंद्रण:** सॉफ्टवेयर निर्यात का **54.1 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका को जाने** के कारण एक ही बाजार पर अत्यधिक निर्भरता बाहरी जोखिमों को बढ़ाती है।
- **वीजा संबंधी प्रतिबंध:** देश के बाहर जाकर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निर्यात में कमी भारत की पारंपरिक वैश्विक सेवा प्रदान करने की व्यवस्था पर सख्त वीजा नियमों के प्रभाव को दर्शाती है।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए **'लिबरेशन डे' शुल्क** तथा शुल्क लगाने के लगातार प्रयास संरक्षणवादी व्यापार नीतियों से उत्पन्न जोखिमों को दर्शाते हैं।
- **वस्तु एवं सेवा निर्यात में असंतुलन:** सेवा निर्यात में निरंतर तीव्र वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि भारत बाह्य आय के लिए

सेवाओं पर अधिक निर्भर हो रहा है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात केवल **0.9 प्रतिशत बढ़कर 87.31 अरब अमेरिकी डॉलर** हुआ।

संबंधित प्रयास एवं पहल

- **डिजिटल एवं सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र: डिजिटल भारत**, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विस्तार, डिजिटल अवसंरचना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएँ भारत की सेवा अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर रही हैं।
- **वैश्विक बाजारों का विस्तार:** निर्यात बाजारों में विविधता लाने तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक सेवाओं को बढ़ावा देने से किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न जोखिम को कम किया जा सकता है।
- **कौशल विकास:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड संगणना, साइबर सुरक्षा, आँकड़ा विश्लेषण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर कौशल उन्नयन भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

आगे की राह

- **निर्यात बाजारों में विविधता:** भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए **यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा उभरते बाजारों** के साथ सेवा व्यापार को अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।
- **मूल्य शृंखला का उन्नयन:** पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की बाहरी आपूर्ति तथा व्यवसाय प्रक्रिया बाह्यस्रोतीकरण से आगे बढ़कर **सॉफ्टवेयर उत्पाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान एवं विकास, साइबर सुरक्षा तथा उच्च-मूल्य वाली डिजिटल सेवाओं** पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक उपस्थिति का सुदृढ़ीकरण:** विदेशों में अधिक वाणिज्यिक उपस्थिति भारतीय कंपनियों को स्थानीय बाजारों की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने में सहायता कर सकती है तथा कर्मचारियों की सीमा-पार आवाजाही पर निर्भरता कम कर सकती है।
- **नीतिगत स्थिरता:** भारत को वैश्विक सेवा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए **व्यापार, कराधान, वीजा तथा नियामकीय व्यवस्थाओं में स्थिरता और पूर्वानुमेयता** सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्रोत: News On AIR

रचनात्मक अर्थव्यवस्था भारत के आगामी विकास क्षेत्र के रूप में उभर रही है

समाचार में

- भारत का **रचनात्मक उद्योग** फिल्म, संगीत, गेमिंग, एनीमेशन, डिजाइन, प्रकाशन, विज्ञापन और डिजिटल सामग्री जैसे क्षेत्रों में तीव्रता से विस्तार कर रहा है। इसे संस्कृति, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा का आधार प्राप्त है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था

- रचनात्मक अर्थव्यवस्था में वे उद्योग शामिल हैं, जिनका मूल्य मुख्यतः **रचनात्मकता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा** से प्राप्त होता है।
- इसमें मीडिया एवं मनोरंजन, एनीमेशन एवं दृश्य प्रभाव, गेमिंग, प्रत्यक्ष सांस्कृतिक अनुभव तथा डिजिटल सामग्री मंच शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर सीमाओं के पार कार्य करते हैं।
- ये केवल सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी-प्रधान और वैश्विक स्तर पर व्यापार योग्य क्षेत्र हैं, जो आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्थाओं तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत हैं।

प्रमुख घटक

- **AVGC-XR (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स एवं विस्तारित वास्तविकता)** रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्र है, जो कलात्मक कौशल को उच्च क्षमता वाली संगणना, वास्तविक समय प्रतिपादन और उभरती हुई तकनीकों के साथ जोड़ता है।
  - भारत एक वैश्विक रूप से जुड़े **AVGC-XR उत्पादन केंद्र** के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ प्रतिभाओं का एक सुदृढ़ आधार है, जो फिल्मों, स्ट्रीमिंग, विज्ञापन और डिजिटल अनुभवों में योगदान देता है।
- गेमिंग एक बड़ा डिजिटल क्षेत्र बन गया है, जिसमें विशाल उपयोगकर्ता आधार, बढ़ता मुद्रीकरण, घरेलू स्टूडियो और अंतरराष्ट्रीय मंच मौजूद हैं।
- प्रत्यक्ष मनोरंजन क्षेत्र में भी तीव्रता से विस्तार हुआ है। संगीत कार्यक्रम और उत्सव पर्यटन, शहरी अर्थव्यवस्थाओं तथा रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही तकनीशियनों, डिजाइनरों, रसद, आतिथ्य तथा स्थानीय व्यवसायों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखते हैं।

NEXT IAS हिन्दी

भारत की स्थिति

- रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक **सकल घरेलू उत्पाद में 3.1%** और वैश्विक रोजगार में **6.2%** का योगदान देती है। अनुमानतः **5.7 करोड़ भारतीय** पहले से ही सांस्कृतिक एवं रचनात्मक व्यवसायों में कार्यरत हैं।
- भारत की **मीडिया एवं मनोरंजन अर्थव्यवस्था ₹2.5 लाख करोड़** की है।

विभिन्न पहल

- सरकार ने **भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान** तथा **15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC क्रिएटर लैब** स्थापित करने के लिए सहायता की घोषणा की है, ताकि युवाओं को उभरते अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।
    - अकेले **AVGC क्षेत्र** को 2030 तक लगभग **20 लाख कुशल पेशेवरों** की आवश्यकता होने का अनुमान है।
- **मीडिया नैतिकता संहिता:** सरकार ने सुरक्षित, जवाबदेह और निष्पक्ष साइबर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के अंतर्गत **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** अधिसूचित किए हैं।
    - यह अधिनियम सामाजिक मीडिया मध्यस्थों के लिए पारदर्शिता, सामग्री के नियमन तथा शिकायत निवारण को अनिवार्य करता है।
- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल विकास पहल:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और यूट्यूब के साथ साझेदारी में रचनात्मक एवं मीडिया क्षेत्रों के **15,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल विकास पहल** की घोषणा की है।
    - इसे **भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT)** के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC) तथा मीडिया प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
    - इसका उद्देश्य भारत को **डिजिटल सामग्री और नवाचार का वैश्विक केंद्र** बनाना है।
- **MyWaves – WAVES OTT के अंतर्गत नागरिक रचनाकार मंच:** यह नागरिकों को सामग्री बनाने, अपलोड करने और साझा करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ **'क्रिएट इन इंडिया' चैलेंज** जैसी राष्ट्रीय पहलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
    - इस प्रकार यह मंच केवल सामग्री देखने से आगे बढ़कर **सक्रिय सामग्री भागीदारी** की ओर बदलाव को दर्शाता है।

महत्व

- **आजीविका एवं रोजगार का सृजन:** यह लाखों लोगों के लिए मानव-केंद्रित और श्रम-प्रधान रोजगार के अवसर सृजित करता है। इसमें पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प से लेकर किफायती पूँजी की आवश्यकता वाले शहरी डिजिटल उद्यमियों तक विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति एवं सॉफ्ट पावर:** फिल्म, संगीत और कला जैसे रचनात्मक उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विदेशों में राष्ट्रीय पहचान को प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति तथा कूटनीतिक सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है।
- **समावेशी एवं जमीनी स्तर का विकास:** यह महिलाओं, युवाओं और स्वदेशी समुदायों को अपनी विशिष्ट क्षमताओं एवं डिजिटल सामग्री का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाकर संपदा के अवसरों का लोकतंत्रीकरण करता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को तत्काल लाभ मिलता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** यह पर्यटन, खाद्य सेवाओं, खुदरा व्यापार और परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए अप्रत्यक्ष आय एवं आर्थिक वृद्धि के अवसर सृजित करता है।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना:** कला और डिजाइन को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपयोगकर्ता अंतरफलक/उपयोगकर्ता अनुभव (UI/UX) डिजाइन, आभासी वास्तविकता और डिजिटल विपणन जैसे क्षेत्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

- **बौद्धिक संपदा की कमजोर सुरक्षा एवं पायरेसी:** डिजिटल पायरेसी, कॉपीराइट उल्लंघन और बिना अनुमति कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सामग्री के संग्रहण के कारण लगातार राजस्व की हानि हो रही है। वर्तमान नियामक व्यवस्था नई प्रौद्योगिकी-आधारित वितरण प्रणालियों के विकास की गति से पीछे रह गई है।
- **अनौपचारिक संरचना एवं वित्तीय अस्थिरता:** अधिकांश निर्माता असंगठित अस्थायी रोजगार व्यवस्था में कार्य करते हैं, जहाँ आय अनिश्चित होती है, न्यूनतम वेतन की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है।

NEXT IAS हिन्दी

- **सीमित वित्तपोषण एवं मूल्यांकन संबंधी समस्याएँ:** वित्तीय संस्थानों के लिए गैर-भौतिक बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारित करना कठिन होता है। इसके कारण रचनाकारों के लिए संस्थागत ऋण और जोखिम पूँजी तक पहुँच बहुत सीमित हो जाती है।
- **कौशल एवं उद्योग के बीच असंगति:** व्यावसायिक रणनीतियाँ और नई प्रौद्योगिकियाँ, जैसे 3D प्रतिपादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण और आभासी उत्पादन, सामान्यतः शैक्षणिक एवं कला संस्थानों में पर्याप्त रूप से नहीं सिखाई जाती हैं।
- **अवसंरचना एवं डिजिटल विभाजन:** बड़े शहरी क्षेत्रों के बाहर के प्रतिभाशाली लोगों को सीमित डिजिटल संपर्क, विशिष्ट रचनात्मक केंद्रों की कमी और अपर्याप्त उत्पादन सुविधाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत की परिवर्तित रचनात्मक अर्थव्यवस्था डिजिटल नवाचार को पारंपरिक विरासत के साथ जोड़कर कलात्मक दृष्टि को एक सुव्यवस्थित वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर रही है। इससे समावेशी घरेलू समृद्धि को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करने, दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।
- नीति और अवसंरचना के स्तर पर कक्षाओं, उत्पादन प्रयोगशालाओं तथा डिजिटल मंचों के बीच बढ़ता समन्वय स्थानीय रचनाकारों को पूँजी और वैश्विक बाजारों से जोड़ रहा है।
- रचनात्मक उद्योग रोजगार सृजन और सेवा निर्यात के प्रमुख माध्यमों के रूप में उभर रहे हैं।
- हालाँकि, इस गति को सतत आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए देश को बौद्धिक संपदा की कमजोर सुरक्षा, अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए सीमित वित्तपोषण, अनौपचारिक श्रम से जुड़े जोखिमों और बढ़ती प्रौद्योगिकी-कौशल की कमी जैसी महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना होगा।

स्रोत :PIB

FCRA विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की प्रथम बैठक

संदर्भ

- संसद की विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में सदस्यों ने प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विभिन्न प्रश्न उठाए।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

- इसे प्रथम बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, 2010 में इसका स्थान नए अधिनियम ने लिया तथा 2016, 2018 और 2020 में इसमें आगे संशोधन किए गए।
- इसका प्रशासन गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया जाता है।
- **उद्देश्य:** विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करना तथा राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों पर रोक लगाना।
- एफसीआरए पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होता है और इसकी अवधि समाप्त होने से पहले इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

2026 के संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **संपत्ति प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकरण:** विधेयक में विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जो इस व्यवस्था के प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
  - यह प्राधिकरण उस स्थिति में विदेशी अंशदान एवं संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा, जब किसी संगठन का पंजीकरण रद्द, समर्पित, समाप्त हो जाए या उसका नवीनीकरण न किया गया हो।
- **संपत्तियों पर सरकार का अधिकार:** यदि पंजीकरण पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तो सरकार संपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को हस्तांतरित कर सकती है।
  - वह इन संपत्तियों को बेच भी सकती है और बिक्री से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
- **पंजीकरण की स्वतः समाप्ति:** एक नई धारा 14B शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण से मना किए जाने पर एफसीआरए पंजीकरण की "मानी गई समाप्ति" का प्रावधान है। तीन परिस्थितियों में पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा:
  - संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है।
  - नवीनीकरण का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।
  - नवीनीकरण के बिना वैधता अवधि समाप्त हो जाती है।
- **निधियों के उपयोग के लिए समय-सीमा:** वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए विदेशी निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग हेतु अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित की गई है।

NEXT IAS हिन्दी

- **निलंबन के दौरान प्रतिबंध:** निलंबित संगठन अपनी विदेशी निधियों से प्राप्त संपत्तियों को बेच, हस्तांतरित या बंधक नहीं रख सकता। ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- **जांच पर केंद्रीकृत नियंत्रण:** मूल अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत एफसीआरए से संबंधित आरोपों की जांच शुरू करने से पहले किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी या राज्य सरकार को केंद्र से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- **दंड का युक्तिकरण:** अधिकतम दंड को पाँच वर्ष के कारावास से घटाकर एक वर्ष का कारावास, या जुर्माना, या दोनों किया गया है।
- **व्यक्तिगत जवाबदेही:** "प्रमुख पदाधिकारी" की परिभाषा में अब निदेशक, साझेदार, न्यासी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता, सोसायटियों/न्यासों/व्यापार संघों के पदाधिकारी तथा प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा।
    - जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उन्हें संबंधित गतिविधि की जानकारी नहीं थी या उन्होंने उचित सावधानी बरती थी, तब तक वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- **संपत्तियों का स्थायी निहित होना:** यदि कोई संगठन बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसकी विदेशी निधियों से प्राप्त संपत्तियाँ नामित प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी रूप से सरकार में निहित हो जाएँगी।

सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- **संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर प्रश्न:** यदि एफसीआरए प्रमाण-पत्र रद्द, समर्पित या निष्प्रभावी हो जाता है, तो विदेशी निधियों से प्राप्त संपत्तियाँ बिना पूर्व सुनवाई या न्यायिक समीक्षा के सरकार द्वारा नियुक्त "नामित प्राधिकरण" में निहित हो सकती हैं।
- **कोई समय-सीमा नहीं:** कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसी संपत्तियाँ कितनी अवधि तक सरकारी अभिरक्षा में रह सकती हैं।
- **प्रक्रिया का अभाव:** संपत्तियों पर नियन्त्रण लेने, उनकी सूची तैयार करने तथा विदेशी निधियों से प्राप्त संपत्तियों को घरेलू निधियों से प्राप्त संपत्तियों से अलग करने के संबंध में स्पष्ट नियमों का अभाव है।
- **संसाधनों पर भार:** विद्यालयों, अस्पतालों और अनाथालयों जैसी संस्थाओं के दीर्घकालिक प्रबंधन से राज्यों पर वित्तीय एवं मानव संसाधन संबंधी दबाव उत्पन्न हो सकता है।
- **निपटान के स्पष्ट नियमों का अभाव:** कानून में संपत्तियों के अंतिम निपटान अथवा पूजा स्थलों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं।

विदेशी अंशदान का विनियमन क्यों आवश्यक है?

- यह एफसीआरए के माध्यम से प्राप्त विदेशी वित्तपोषण पर निगरानी रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करता है।
- विदेशी अंशदान का विनियमन धन शोधन तथा निधियों के अवैध गतिविधियों में हस्तांतरण को रोकने में सहायता करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि निधियों का उपयोग केवल विकासात्मक एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए।
- यह गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- एफसीआरए के अंतगर्त चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिक संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण पर रोक है।

विदेशी अंशदान के विनियमन को लेकर चिंताएँ

- **प्रशासनिक विलंब:** पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रायः समय लेने वाली होती है, जिससे गैर-सरकारी संगठनों की निधियों तक पहुँच तथा अपनी गतिविधियाँ संचालित करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण रद्द करने या उनके खातों को रोकने के संबंध में सरकार को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के एक रूप के रूप में देखा जाता है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** एफसीआरए के अंतर्गत प्राप्त विदेशी निधियों के उपयोग में पारदर्शिता की कमी को लेकर कुछ गैर-सरकारी संगठनों की आलोचना की गई है।
    - इन निधियों के विशिष्ट उद्देश्यों एवं लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण न किए जाने पर अक्सर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- सरकार को एफसीआरए के अंतर्गत अनुमोदन की प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना चाहिए।
- नियामक निगरानी और नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

- शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए न्यायिक एवं संस्थागत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

ई.वी. रामासामी

संदर्भ

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में समाज सुधारक ई.वी. रामासामी की 147वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

ई.वी. रामासामी (1879-1973) के बारे में

- ई.वी. रामासामी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से **"पेरियार"** (महान व्यक्ति) के नाम से जाना जाता है, का जन्म 17 सितंबर, 1879 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था।
- वे एक भारतीय समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1925 में **आत्मसम्मान आंदोलन** प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देना तथा सामाजिक समानता, तर्कवाद एवं आत्मसम्मान को बढ़ावा देना था।
- पेरियार ने अपने गृह नगर इरोड में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हालाँकि, कांग्रेस द्वारा संचालित गुरुकुलम नामक विद्यालय में ब्राह्मण एवं गैर-ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग-अलग भोजन व्यवस्था के प्रश्न पर उन्होंने 1925 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया।
- **वैकॉम सत्याग्रह (1924–25)** के दौरान पेरियार की ख्याति तमिल क्षेत्र से बाहर भी फैल गई। यह एक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों के लोगों को प्रसिद्ध वैकॉम मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था।
- 1940 के दशक में उन्होंने **द्रविड़ नाडु** नामक स्वतंत्र द्रविड़ मातृभूमि की परिकल्पना की और एक राजनीतिक दल **द्रविड़र कड़गम (DK)** की स्थापना की।
- **पत्रिका:** कुडी अरसु

क्या आप जानते हैं?

- 2021 में तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की कि पेरियार की जयंती, 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष **"सामाजिक न्याय दिवस"** के रूप में मनाया जाएगा।

स्रोत: AIR

इंडिया डीप टेक एलायंस

समाचार में

- इंडिया डीप टेक एलायंस (IDTA) के सदस्यों ने विगत एक वर्ष में 56 भारतीय डीप-टेक कंपनियों में ₹2,170 करोड़ का निवेश किया है, जो रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में बढ़ते निजी निवेश का संकेत है।

इंडिया डीप टेक एलायंस

- इसे सितंबर 2025 में शुरू किया गया था और तब से इसने भारत के डीप-टेक उद्यमियों के लिए दीर्घकालिक पूँजी एवं पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सहायता पाने की दिशा में कार्य किया है।
- यह निवेशकों, कॉरपोरेट संस्थाओं, प्रौद्योगिकी भागीदारों एवं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हितधारकों का उद्योग-नेतृत्व वाला संघ है।
- इसमें भारत एवं विदेशों के व्यक्तिगत तथा कॉरपोरेट निवेशक शामिल हैं।
- इसका ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, उन्नत संगणना, रोबोटिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में भारत की डीप-टेक कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ाने पर है।
- यह संस्थापकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत से विकसित करने में सहायता देने के लिए पूँजी तक पहुँच, तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार संपर्क एवं नीतिगत सहभागिता को एक मंच पर लाता है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग खारिज

संदर्भ

- भारत ने तथाकथित **पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग** को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई वैध अधिकार नहीं है, क्योंकि वह क्षेत्र उसके अवैध एवं बलपूर्वक नियन्त्रण में है।

परिचय

- भारत ने कहा कि तथाकथित **'चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता'**, जिस पर 1963 में शिनजियांग और पाकिस्तान के नियन्त्रण वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, **"अवैध" और "अमान्य"** है।

- **पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग:** इस आयोग की उत्पत्ति 2013 में इस्लामाबाद में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री ली खछयांग की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित **सीमा प्रबंधन प्रणाली संबंधी समझौते** से हुई। इस समझौते में सीमा प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा समझौता

- ऐतिहासिक रूप से, जम्मू-कश्मीर की रियासत का गठन 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के बीच **अमृतसर की संधि** पर हस्ताक्षर के बाद हुआ था।
- इसमें गिलगित-बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के नियन्त्रण वाला कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर तथा ट्रांस-काराकोरम क्षेत्र शामिल थे।
- 1963 का समझौता ऐसे समय हुआ जब चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे।
- इसी अवधि के आसपास पाकिस्तान ने **शक्सगाम घाटी**, जिसे **ट्रांस-काराकोरम क्षेत्र** भी कहा जाता है, चीन को सौंप दी थी।
- यह पाकिस्तान के नियन्त्रण वाले हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और सियाचिन हिमनद के उत्तर में स्थित है।
- 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र की भौगोलिक एवं जलवायवीय परिस्थितियाँ मानव निवास के लिए अत्यंत कठिन हैं।
- भारत लगातार यह दृष्टिकोण अपनाता रहा है कि 1963 में शक्सगाम घाटी जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपना **अवैध एवं अस्वीकार्य** था।

स्रोत: AIR

हिमालयी मोनाल

समाचार में

- हाल ही में पाया गया है कि हिमालयी मोनाल आसपास के शोर के स्तर के अनुसार अपनी ध्वनियों में परिवर्तन करता है।

हिमालयी मोनाल

- यह एक आकर्षक स्थलीय पक्षी है, जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित हिमालयी पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है।
- यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है।
- इसे **आईयूसीएन की लाल सूची** में **"कम चिंतनीय"** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत :IE

NEXT IAS हिन्दी

■■■■